न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 154 / 14 निर्णय दिनांक 11-10-17

खिराज पुत्र श्री गिरधारी जाति कुम्हार निवासी 22 एनपीआर (किशनपुरा) तहसील व जिला हनुमानगढ़

–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकारराज

–रेसपोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29.07.1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थित:

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 29–07–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र 35 प्रतिशन राशि जमा नहीं कराने के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 20 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 216 / 62 बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को भूमि आवंटन हेतु सबूतों व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। अतः सलाहकार समिति की राय से आवेदन खारिज किया जाता है। जबकि अपीलांट 35 प्रतिशत राशि पहले जमा कराने को तैयार रहा है तथा आज भी है। अपीलांट को आवंटित भूमि आज भी रकबाराज है तथा आवंटन कायम है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश

निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आदेश जारी किया जावे। पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 21–07–14 को पेश की है। जो करीब 15 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अपीलांट ने चक नम्बर 20 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 216/62 बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमांक 12713 दिनांक 23–7–1999 द्वारा इस आश्य का नोटिस जारी किया गया कि दिनांक 29–7–1999 को 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित होवें ताकि सबूतों की जॉच की जाकर निलामी द्वारा भूमि आवंटन कर 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर आवंटन आदेश जारी किया जा सके। अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना निर्धारित समयावधि में न तो स्वयं उपस्थित आया ना ही 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। चूंकि अपीलांट ने आवंटन शर्तो की पालना समयावधि में नहीं की इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 29–07–1999 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11-10-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर